

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुड़गाँव ।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
3. सभी श्रम तथा समझौता अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य ।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत ।

क्रमांक:

८३१६५ - ८५११५

दिनांक: 16/8/10

विषय: न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा दिनांक 01-07-2010 से बढ़ोतरी बारे पत्र।

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि सरकार की अधिसूचना दिनांक 27-6-2007 द्वारा भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-07-2007 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं । इन आंकड़ों में हुई बढ़त / घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (जनवरी व जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त / घटत होती रहती है ।

अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जनवरी 2010 से जून, 2010 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत / बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है :-

| जनवरी, 2010  | 687 (1484) |
|--------------|------------|
| फरवरी, 2010  | 681 (1471) |
| मार्च, 2010  | 680 (1469) |
| अप्रैल, 2010 | 680 (1469) |
| मई, 2010     | 680 (1469) |
| जून, 2010    | 687 (1484) |
| औसत          | 683 (1475) |

दिसम्बर, 2009 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक 1417 थे । अब मास जून, 2010 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 1475 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 58 अंकों की बढ़ोतरी हुई है । हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27-06-2007 जो कि प्रथम जुलाई, 2007 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 2.31 रुपए प्रतिअंक है जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत सभी श्रेणी के श्रमिकों में न्यूनतम वेतनों में दिनांक 01-07-2010 से मासिक रुपए 133.98 और दैनिक रुपए 5.15 की बढ़ोतरी हुई है । अतः अब दिनांक 01-07-2010 से हरियाणा राज्य में सभी श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरें पूर्व की भाँति निम्न प्रभाव से देय बनती है :-

| क्रम संख्या | श्रेणी               | मासिक वेतन                 | दैनिक वेतन               |
|-------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1.          | अकुशल                | रु० 4348.21                | रु० 167.23               |
| 2.          | अर्धकुशल (ए)<br>(बी) | रु० 4478.21<br>रु० 4608.21 | रु० 172.23<br>रु० 177.23 |
| 3.          | कुशल (ए)<br>(बी)     | रु० 4738.21<br>रु० 4868.21 | रु० 182.23<br>रु० 187.23 |
| 4.          | उच्च कुशल            | रु० 4998.21                | रु० 192.23               |

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भट्टा उद्योग के रेट्स में बढ़ोतरी निम्न प्रकार से है:-

| Pathera |        | Bharal wala |       | Kari wala (per 1000) | Nikasi wala (per 1000) | China wala (Per Month) | Mistri (Per Month) |
|---------|--------|-------------|-------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Brick   | Tiles  | A           | B     |                      |                        |                        |                    |
| 247-76  | 278-73 | 111-49      | 91-67 | 19-82                | 81-76                  | 4738-21                | 4738-21            |

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाकर सुनिश्चित करें।

Kran